# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
## (जिला – जोधपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–श्रीराम जी भाई कलबी आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 123/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/215

**प्रार्थीगण**

1. स्वरूपाराम पुत्र दुर्गाराम निवासी बालेसर दुर्गावता तहसील बालेसर जिला जोधपुर

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती**

अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र द्विवेदी उपस्थित।
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित।

**–:: निर्णय ::–**

दिनांकः– 26/3/24

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:–

प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि मौजा बालेसर दुर्गावता पटवार क्षेत्र बालेसर दुर्गावता तहसील बालेसर के खसरा नम्बर 959 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है एवं उक्त भूमि पुश्तैनी है। उक्त खसरे की चालु जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिताजी का नाम दुर्गाराम की बजाय दर्गाराम भूलवंश या सेवन से दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के पिताजी का वास्तवित सही नाम दुर्गाराम है। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों एवं प्रार्थी की अन्य खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 960 मे प्रार्थी के पिताजी का नाम दुर्गाराम दर्ज है जो सही है। प्रार्थी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे अपने पिजाजी का नाम शुद्व करवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करे हुए खसरा नम्बर 959 मे स्वरूपारामपुत्र दर्गाराम के स्थान पर स्वरूपाराम पुत्र दुर्गाराम नाम शुद्व करने की अनुशंषा की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे बहस की गई बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त शुद्वि के समर्थन में प्रस्तुत विभिन्न पहचान दस्तावेजों एवं अप्रार्थी (राजकीय पेरोकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के आधार पर प्रार्थना पत्र के तथ्य सिद्व करने में प्रार्थी अधिवक्ता सफल रहे है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मौजा बालेसर दुर्गावता पटवार क्षेत्र बालेसर दुर्गावता तहसील बालेसर के खसरा नम्बर 959 रकबा 0.1376 हैक्टेयर की भूमि के राजस्व रेकर्ड में स्वरूपाराम पुत्र दर्गाराम के नाम के स्थान पर स्वरूपाराम पुत्र दुर्गाराम नाम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उक्तानुसार उक्त खसरे में प्रार्थी का नाम शुद्व करने की कार्यवाही करें शेष खाता बदस्तुर रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

फैसला आज दिनांक 26/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.24 11:35:06 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर